पत्रांक–1 / नि0ज0षि0–118 / 2018–
बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रषिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना ।

प्रेषक,

अजीत कुमार सिन्हा,
सहायक निदेषक (नियोजन),
बिहार, पटना ।

सेवा में,

श्री ध्यानी पासवान,
सचिव, जिला दलित बंचित कल्याण समिति,
किषनगंज, कार्यालय खगड़ा माछमारा,
जिला–किषनगंज–855107 ।

पटना–01, दिनांक–

विषय– मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से प्राप्त श्री ध्यानी पासवान का जन शिकायत आवेदन के संबंध में।

महाषय,

आपका आवेदन मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से निदेषालय नियोजन को प्राप्त हुआ है के संबंध में यह सूचित करना है कि सरकारी नौकरी विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत विभागीय नियमानुसार अथवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होती है। राज्य में स्थित नियोजनालय, उम्मीदवारों को सिर्फ रोजगार सहायता उपलब्ध कराते है तथा रोजगार के बारे में उपलब्ध अवसरों के बारे में सूचनाएँ प्रदान करते है। राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित नियोजनालयों द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से व्यावसायिक मार्ग दर्षन दिया जाता है। आप एन0सी0एस0 पोर्टल पर ऑनलाईन वेबसाईट www.ncs.gov.in पर अपना निबंधन कर नियोजन हेतु सभी सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष ''नियोजन–सह–व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला'' का आयोजन किया जाता है। जिसमें प्राईवेट कम्पनियॉ / निजी कंपनियों के द्वारा योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, जिसमें भाग लेकर आप लाभान्वित हो सकते हैं। ''नियोजन–सह–व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला'' से संबंधित सूचना निदेषालय द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी जाती है। साथ ही साथ कौषल विकास मिषन योजना के अंतर्गत कौषल विकास की योजनाएँ भी सहायतार्थ चलायी जा रही है। कुशल युवा प्रोग्राम (KYP) के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर आप अपना कम्प्युटर दक्षता, अंग्रेजी बोलचाल तथा सॉफ्ट स्कील में वृद्धि कर सकते हैं ताकि शीघ्र नियोजन हो सके।

आपसे अनुरोध है कि आप अपने जिले के सभी बेरोजगारों को जिला नियोजन पदाधिकारी से संपर्क कर इस संबंध में आवष्यक सूचना प्राप्त करें तथा संबंधित नियोजनालय में एन0सी0एस0 पोर्टल पर अपने गॉव के बेरोजागार युवकों / युवतियों का निबंधन भी करा लें। साथ ही साथ कौषल विकास मिषन योजना में कौषल विकास में नामांकन हेतु तथा कुशल युवा प्रोग्राम (KYP) में प्रशिक्षण हेतु परामर्ष ले सकते है।

विष्वासभाजन

(अजीत कुमार सिन्हा)
सहायक निदेषक (नियोजन)
बिहार, पटना ।

(कृ0 प0 उ0)

Sanjay kumar54

ज्ञापांक–1/नि0ज0षि0–118/2018– 532 पटना–01, दिनांक– 31.05.18

प्रतिलिपि– सरकार के उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्र सं0–5/मं०स०ज०षि० (मु०मं०स०) 05/2017–155 दिनांक–14.03.2018 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित

अनुलग्नक–**यथोक्त**।

सहायक निदेषक (नियोजन)
बिहार, पटना ।

Sanjay kumar55

संचिका–7/श्रमा0(जन शि0/अन्य विभाग)–07/2017 श्र0सं0......3442

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)।

प्रेषक,

सुजीत कुमार राय,
संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

उप निदेशक(नियोजन)
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन)
श्रम संसाधन विभाग, बिहार,पटना।

पटना, दिनांक– 15-5-18

विषयः– श्री ध्यानी पासवान, जिला–दलित वंजित कल्याण समिति, किशनगंज का अभ्यावेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री ध्यानी पासवान, जिला–दलित वंजित कल्याण समिति, किशनगंज का अभ्यावेदन मंत्रिमडंल सचिवालय विभाग के पत्रांक–155 दिनांक–14.03.2018 के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमे बेरोजगारों को काम देने का उल्लेख है।

अतएव प्राप्त आवेदन मूल रूप में अग्रेत्तर कारवाई हेतु संलग्न किया जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वकार की जाय।

अनुलग्नक– यथोपरि ।

विश्वासभाजन

(सुजीत कुमार राय)
संयुक्त श्रमायुक्त,बिहार।

1643
24-5-18

पत्र संख्या – 5/मं०स०ज०शि० (मु०मं०का०) 05/2017 ......155......

बिहार सरकार

<u>*मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग*</u>

प्रेषक,

इम्तियाज अहमद करीमी,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
श्रम संसाधन विभाग/शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक ..14/3/.. 2018

विषय :- बिहार में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक ध्यानी पासवान, सचिव, जिला दलित बंचित कल्याण समिति, किशनगंज, कार्यालय खगड़ा माछमारा, ~~प्रोक्न~~, जिला–किशनगंज–855107, बिहार से प्राप्त उनके आवेदन पत्र, दिनांक–05.02.2018 की छायाप्रति आवश्यक एवं समुचित कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि कृत कार्रवाई की सूचना से आवेदक को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनु० :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(इम्तियाज अहमद करीमी)
सरकार के उप सचिव।

(2)

जिला दलित शोषित कल्याण समिति, किशनगंज
कार्यालय : खगड़ा माझटोली

पो०– जिला – किशनगंज, मो०नं०-7644833...

पिन नं०-855107 (बिहार)

अध्यक्ष		सचिव
मदन लाल राय	निबंधित ठ करें	ध्यानी पासवान

द्वितीय स्मार-पत्र

प्र० सचिव
जन शिकायत
मो० ...
प्र० म०

अप्रसित (पूर्व)

सेवामें श्री नीतीश कुमार,
माननीय मुख्य मंत्री, बिहार सरकार, पटना।

विषय :— आजादी के बाद बिहार में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने के सम्बन्ध में।

14/7/18

प्रसंग :— इस समिति का भेजा गया पत्र दिनांक – 5.12.2017 एवं दिनांक – 23.12.2017.

141
17/7/18

महाशयजी,

आज भारत देश को आजाद हुए 70 वर्ष बीत चुके हैं, जितने मुगलों और अंग्रेजों ने इस देश को लूट कर बर्बाद नहीं किया, उससे कई गुणा ज्यादा आपके शासन-प्रशासन ने बिहार को कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी द्वारा लूट-पाट मचा कर बर्बाद किया जा रहा है। साथ ही आपकी सेवा यात्रा, न्याय यात्रा, विकास यात्रा, निश्चय यात्रा एवं समीक्षा यात्रा सहित पोस्टर बाजी में बिहार को कितनी आर्थिक क्षति हुई है? गौर कीजाय।

बिहार शिक्षा के मामले में उच्च शिखर पर था, जहाँ नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला महाविश्व विद्यालय था, जहाँ देश-विदेश के

P.T.O.

[illegible]
नहीं आपने शिक्षकों का बँटवारा कर [illegible] -
नगर - प्रखंड - नियमित - अनियमित शिक्षकों का
नामकरण का बँटवारा कर शिक्षा की लुटिया
बिहार में डूबा दी गई है। सरकारी किसी भी
विद्यालय में बच्चों की शिक्षा नाम की चीज नहीं
रह गई है?

लोकतान्त्रिक व्यवस्था, आपसी भाईचारा और
सद्भाव को खंडित करने के लिए आपने हिन्दू -
मुस्लिम, अल्पसंख्यक - बहुसंख्यक, पिछड़ी -
अतिपिछड़ी, दलित - महादलितों में बँटवारा कर
आपसी भाईचारा को बिगाड़ा गया है। ऐसे विभत्स
स्थिति में इन्सानियत कब कायम होगी?

सरकारी अस्पताल में भी आपके समय में
गरीबों, दीनदुखियों का इलाज संभव नहीं?

भूमिहीन सड़क, रेल, ओभरब्रीज के
नीचे नारकीय जीवन जीने को विवश हैं क्यों?
भूदान, बिहार सरकार और हदबंदी की जमीन कब
भूमिहीनों को मिलेगी? भूदान द्वारा वितरित भूमि
के पर्चा पर भूमिहीनों को कब दखल - दिहानी - कब्जा
संभव होगी?

अतः समिति अनुरोध करती है कि -
बेरोजगारों को काम दें और आम जनता सहित
शिक्षक - कर्मचारियों के भींगते आँसुओं को
पोछने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी,
श्यामदेव [illegible]
[illegible] 5/2/2018

प्रतिलिपि :- श्री अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव,
बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ
[illegible]